भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1637

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 13 फरवरी, 2023/ माघ 24, 1944 (शक) को दिया जाना है

केंद्रीय उपकर और अधिभार का हिस्सा

1637. श्री डी. के. सुरेश:
श्रीमती सुमलता अम्बरीश:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत दो वर्षों के दौरान केंद्रीय उपकर और अधिभार का हिस्सा दोगुना हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या अधिकांश उपकर और अधिभार की राशि राज्यों के साथ साझा नहीं की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ख): मुख्य उपकर और अधिभारों के संग्रहण का विवरण निम्नानुसार हैः-

(करोड़ रु. में)

वित्त वर्ष	**मुख्य उपकर और अधिभारों का संग्रहण**
2020-21	401605
2021-22	481217

भारत के संविधान के अनुच्छेद 271 के तहत केंद्र सरकार द्वारा उपकर और अधिभार लगाये जाते हैं। ऐसे उपकर और अधिभार से अर्जित आय कुछ विशिष्ट आवश्कताओं की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार अनुच्छेद 271 में विनिर्दिष्ट करों व शुल्कों तथा संघ और राज्यों के बीच वितरण हेतु संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लगाए गए किसी भी उपकर पर अधिभार नहीं लगाया जा सकता है।

*****